

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं०प्र०सं०

प्रथम पक्ष — जगमोहन साहु।

वाद सं० 130 / 2022

बनाम

द्वितीय पक्ष — सत्यजीत साहु बगैरह।

आदेश की क० सं० एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही टिप्पणी
24/2/22	उक्त वाद की कार्यवाही थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं० 52/2022 दिनांक 28/10/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) जगमोहन साहु उम्र 70 वर्ष पिता स्व० मनु साहु (2) रूपनारायण साहु उम्र 40 वर्ष पिता जगमोहन साहु दोनों ग्राम बघिमा थाना पालकोट, जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) सत्यजीत साहु उम्र 42 वर्ष पिता तिलकमैन साहु (2) मनोहर साहु उम्र 55 वर्ष पिता स्व० मनु साहु उम्र 65 वर्ष तीनों ग्राम बघिमा थाना पालकोट जिला गुमला के बीच मोजा बघिमा के खाता सं० 31, प्लॉट सं० 4134 रकबा 0.20 एकड़ जमीन को लेकर लड़ाई झगडा का विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षों के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं०प्र०सं० की धारा 107 की कार्यवाही नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :- उक्त वाद की कार्यवाही के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी पालकोट या अन्य स्रोतों से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी है। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्यवाही के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग नहीं होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्यवाही की समय अवधि समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्यवाही बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	